



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940

No. 4253]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5458(अ).**— केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उप धारा (1) और उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यों के निर्वहन के लिए **देहरादून** में कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालय स्थापित करती है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता **उत्तराखंड के संपूर्ण राज्य** में होगी और उत्तराखंड राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए और कार्यों के निर्वहन के लिए देहरादून में कंपनी रजिस्ट्रार सह-शासकीय समापक नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना तारीख 29.10.2018 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 1/16/2013-सीएल-V]

जानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2018

**S.O. 5458 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (herein after referred to as the said Act), the Central Government hereby establishes the office of the Registrar of Companies cum Official Liquidator at **Dehradun**, having territorial jurisdiction in the **whole State of Uttarakhand** for discharging the functions of the Registrar of Companies under the various provisions of the said Act and appoints the Registrar of Companies cum Official Liquidator at Dehradun for the purpose of registration of companies and discharging the functions under the said Act in the State of Uttarakhand.

2. This notification shall come into force with effect from 29.10.2018.

[F. No.1/16/2013 -CL-V]  
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.